

OFFICE NOTE SHEET

२०.९/२२ पैरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा मूल प्रकरण 177 आर.टी.ए. में जवाब एवं वाद ग्रस्त आराजी के संपरिवर्तन आदेश की प्रति पेश करने पर मूल प्रकरण खारिज किया जा चुका है। मूल वाद प्रकरण खारिज होने से इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रहा जाता। अतः मूल प्रकरण के खारिज होने से इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण के खारिज होने से दिनांक 15.09.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वतः निरस्त है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

dv
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

dv
20/09/2022

